उत्तरांचल शासन
1052 लोक निर्माण अनुभाग--1
संख्याः लो0नि0--1 / 2003-- 96 (अधि0) / 02
देहरादून-- दिनॉकः 25 अप्रैल, 2003

अधिसूचना
प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली, 2003

भाग -- एक --सामान्य

संक्षिप्त नाम

1-(एक) यह नियमावली उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी ।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2- उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग,सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा एक राज्य सेवा है,जिसमें समूह "ख" के पद समाविष्ट है ।

परिभाषायें

3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :--

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है ;

(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है ;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग,सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा से है ;

(झ) "संविधान" का तात्पर्य " भारत का संविधान" से है ;

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में से किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन पश्चात् की गयी हो ओर यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गयी हो ;

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग -- दो -- संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4--(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

परन्तु

(एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं ; जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे ।

भाग -- तीन -- भर्ती

भर्ती का स्रोत 5-- सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) (i) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से जिन्हो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो --पदोन्नति द्वारा।

(ii) 5 प्रतिशत कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) / संगणक में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो-- पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण 6. अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के

अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग– चार– अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रुप से निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,बर्मा,श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, युगान्डा और यूनाइटेट रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार)से प्रवजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि, श्रेणी (ख)के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी(ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त में रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो,किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

शैक्षिक अर्हताएं 8. पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है:–

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से

सिविल या अभियांत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) 'क' व 'ख' की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

अधिमानी अर्हताएं–9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ,या

(दो) राष्ट्रीय कैडेटकोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेन्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां "विज्ञापित" की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो ;

परन्तु, अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र–11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध मे अपना समाधान कर लें।

टिप्पणी :–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वा–धीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता

के किसी अपराध के लिए दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति–12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा ,जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवत हो ;

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है ।

शारीरिक स्वस्थता–13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें ;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता के चिकित्सा प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग – पांच –भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण –14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और इसकी सूचना आयोग को देगा ।

सीधी भर्ती की प्रकिया–15. (i) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेगें।

(ii) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया

जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(iii) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंको को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(iv) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया — 16. पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची — 17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग– छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति — 18. (i) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी कम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(ii) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया

जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(iii) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता कम में किया जायेगा जैसी कि यथास्थिति चयन में आधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नति किया जाये। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जायें तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चकानुकम के अनुसार रखे जायेगें।

परिवीक्षा 19. (i) सेवा में किसी पद पर किसी मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(ii) इस दो वर्ष की अवधि में सीधी भर्ती के सभी सहायक अभियन्ताओं को कालागढ़ प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(iii) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।

(iv) यदि परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है,तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद धारिणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(v) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (iv) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(vi) परिवीक्षा अवधि में एक माह की नोटिस पर अथवा एक माह का वेतन देने पर सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(vii) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण 20. (i) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा

अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाय, यदि:–

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
(ख) उसका कार्य और आचरण संतोष जनक बताया।
(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।
(घ) कालागढ प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।
(ड.) सरकार उसको स्थायी करने को उपयुक्त समझती हो।

(ii) जहॉ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमाव 1991(यथा उत्तरांचल में लागू) के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आ[illegible] नहीं है यहॉ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन [illegible] करते हुये आदेश जारी करेंगें कि सम्बन्धित [illegible] सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 21. पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरॉचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान 22. (i) सेवा में पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(ii) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रक[illegible] दिए गये है–

1. सहायक अभियन्ता सिविल (8000–275–13500)

परिवीक्षा–अवधि 23. (i) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय [illegible] इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नही की जायेगी [illegible] तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(ii) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवी[illegible] अवधि में वेतन सुसंगत फंडामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

किया जायेगा

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा... इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(iii) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा मे हो, परिवी... अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध मे सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः ल... सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग – आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन — 24. किसी पद या सेवा मे लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन — 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आतें हों, सेवा मे नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता — 26. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श लिया जायेगा।

व्यावृत्ति — 27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)

सचिव।

अधिसूचना संख्याः 1052 / लो0नि0–1 / 2003–96(अधि0) / 02 दिनॉकः 25 अप्रैल, 2003 का प

[नियम 4 (2) देखें]

कमांक	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
01.	सहायक अभियन्ता(सिविल)	193

उत्तरांचल शासन

लोक निर्माण अनुभाग–1

संख्याः 9022 / लो0नि0–1 / 2003–96(अधि0) / 02

देहरादूनः दिनाँकः 25 अप्रैल, 2003

दिनाँकः 25 अप्रैल, 2003 को प्रख्यापित "उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली, 2003" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

10. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव उत्तरांचल शासन।
11. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
12. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी उत्तरांचल।
13. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।,
14. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयध्यक्ष उत्तरांचल।
15. सचिव, विधानसभा उत्तरांचल।
16. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
17. कार्मिक अनुभाग / गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग एवं सचिवालय के समस्त अनुभाग।
18. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की को हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियॉ संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे "असाधारण गजट" के विधायी परिशिष्ट में मुद्रित कराकर इसकी 500 प्रतियॉ लोक निर्माण अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)

उप सचिव।

सेवा नियमावली 2005

81-24

उत्तरांचल शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या 2839/ III(1)/2003–96(अधि0)/2002
देहरादून दिनांक 26 दिसम्बर, 2005
अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल,उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता(सिविल)सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता(सिविल) (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2005

1–संक्षिप्त नाम

(1) यह नियमावली उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2 –**मूल नियमावली का संशोधन** – उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली, 2003(जिसे यहा मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ –एक में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रखा जायेगा :–

स्तम्भ–एक (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
5. भर्ती का स्रोत सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:– (एक) 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;	5. भर्ती का स्रोत सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:– (एक)40 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
(दो) (i) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति के द्वारा;	(दो)(i) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो,पदोन्नति द्वारा; (दो)(i–क) 8.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जो नियम 8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों --पदोन्नति द्वारा;
दो(ii) 5 प्रतिशत कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा;	(दो) (ii) 5 प्रतिशत पद कनिष्ठ अभियन्ता(प्राविधिक)/संगणक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा कर ली हो–पदोन्नति द्वारा; (दो) (ii–क) 1.67 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/संगणक में से उनके संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जो नियम 8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों, पदोन्नति द्वारा ।

आज्ञा से,

(डा0एस0एस0संधू)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1524/III(1)/14–96(अधि0)/2002
देहरादून, दिनांक 28 नवम्बर, 2014

अधिसूचना संख्या– 2069 /III(1)/14–96(अधि0)/02, दिनांक नवम्बर, 2014 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल) (संशोधन) सेवा नियमावली 2014 एवं उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली 2014" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मण्डल आयुक्त, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को प्रश्नगत नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियों को इस आशय से संलग्न प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया नियमावली को असाधरण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराकर इसकी 500 प्रतियां लोक निर्माण विभाग, अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 2069/ III(1)/14–96(अधि0)/2002
देहरादून, 28 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल भारत का "संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम–

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल) (संशोधन), सेवा नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन–

2. उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली, 2003 में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रखा जायेगा:–

स्तम्भ–एक (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
5. भर्ती का स्रोत	5. भर्ती का स्रोत
सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–	सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–
(एक) 40 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा:–	(एक) 40 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,
(दो) (i) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हों, पदोन्नति द्वारा;	(दो) (एक) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त **कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)** में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा; सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहाँ अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई हों, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।

दो) (ii) 5 प्रतिशत पद कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हों, पदोन्नति द्वारा;	(दो) (एक–क) 5 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) **एवं अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक)** में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हों, पदोन्नति द्वारा; **सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहाँ अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई हों, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।**
(दो) (i–क) 8.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त **कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जो नियम–8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों–पदोन्नति द्वारा;	(दो) (एक–क) 8.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जो नियम–8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों, पदोन्नति द्वारा; सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहाँ अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई हों, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।
(दो) (ii–क) 1.67 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से उनके संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जो नियम–8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों, पदोन्नति द्वारा;	(दो) (दो–क) 1.67 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) एवं अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से उनके सवंर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जो नियम–8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों, पदोन्नति द्वारा; सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहाँ अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई हों, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. /III(1)/14-96 (Establishment)/2002, dated November, 2014 for general information:

UTTARAKHAND SASHAN

No. 2069/III(1)/14-96 (Establishment)/2002

Dated Dehradun, 28 November, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttarakhand Public Works Department Assistant Engineers (Civil) Service Rules, 2003

THE UTTARAKHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT ASSISTANT ENGINEERS (CIVIL) (AMENDMENT) SERVICE RULES, 2014

Short Title and Commencement—

1.(1) These Rules may be called the Uttarakhand Public Works Department Assistant Engineers (Civil) (Amendment) Service Rules, 2014

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 5-

2. In the Uttarakhand Public Works Department Assistant Engineers (Civil) Rules, 2003, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule- 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted –

COLUMN-1 **Existing rule**	**COLUMN-2** **Rules as here by substituted**
Source of Recruitment Recruitment to a post in the service shall be made from the following sources. 1. 40 percent by direct recruitment through the Commission	**Source of Recruitment** Recruitment to a post in the service shall be made from the following sources. 1. 40 percent post by direct recruitment made from Public Service Commission
2.(i) 45 percent post by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Civil), who have completed seven year of satisfactory service as such, on the first day of the year of recruitment.	**2.(i)** 45 percent post by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Civil) and Additional Assistant Engineer (Civil), who have completed seven year of satisfactory service as such, on the first day of the year of recruitment. Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of Junior Engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, the same shall be computed for the combined length of service

done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

2.(i-a) 5 percent by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Technical/Computer), who have completed seven year satisfactory service as such, on the first day of the year of recruitment.	**2.(i-a)** 5 percent post by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Technical/Computer) and Additional Assistant Engineer (Technical/Computer), who have completed seven year satisfactory service as such, on the first day of the year of recruitment. Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of Junior Engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, the same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.
(2)(ii) 8.33 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Civil) who have completed five year of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment, and who posses educational qualification as mentioned in Rule-8	**(2)(ii)** 8.33 percent post by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Civil) and Additional Assistant Engineer (Civil) who have completed five years of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment and who posses Educational qualification as mentioned in Rule-8. Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of Junior Engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, the same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.
(2)(ii-a) 1.67 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Technical/Computers) in the ratio of their cadre strength who have completed five year's satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment and who posses Educational Qualification as mentioned in Rule-8.	**(2)(ii-a)** 1.67 percent post by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Technical/Computer) and Additional Assistant Engineer (Technical and Computer) in the ratio of their cader strength who have completed five years of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment and who posses Educational qualification as mentioned in Rule-8.

Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of Junior Engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, the same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

By order

(Amit Singh Negi)
Secretary